173

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः–श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1278–तीन/2002 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 28–03–2002 के द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के प्रकरण क्रमांक 319/2000–2001/अपील

....

1– बद्रीलाल पुत्र चतरूलाल मीना

निवासी– ग्राम विजरपुर, जिला–श्योपुर (म0प्र0)

.... आवेदक

विरूद्ध

1– मांगीलाल पुत्र मोतीलाल

निवासी– ग्राम विजरपुर, हाल निवासी वार्ड नं0 12 श्योपुर,

जिला–श्योपुर(म0प्र0

........................अनावेदक

....

श्री मुकेश बेलापुरकर, अभिभाषक, आवेदक

....

आदेश

(आज दिनांक 17-10-16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 319/2000–2001/अपील में पारित आदेश दिनांक 28–03–2002 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि तहसील श्योपुरकलां के ग्राम विजरपुर में स्थित विवादित भूमि सर्वे कमांक 437 रकबा 6 बीघा 18 विस्वा जिसके आभिलिखित भूमिस्वामी अनावेदक मांगीलाल है। पर आवेदक बद्रीलाल द्वारा विचारण न्यायालय में संहिता की धारा 115 व 116 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अभिलिखित भूमिस्वामी का नाम कम किया जाकर आवेदक बद्रीलाल का नाम दर्ज किये जाने का अनुरोध किया गया। विचारण न्यायालय

द्वारा प्रकरण दर्ज किया जाकर अनावेदक को नोटिस जारी किया गया। अनावेदक की ओर से उसके अभिभाषक द्वारा वकालतनामा पेश तथा आवेदन पत्र की प्रतिलिपि दी गई। विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारों को सुनने तथा प्रस्तुत अभिलेख का परिशीलन करने के उपरान्त पारित आदेश दिनांक 29–03–2000 द्वारा ग्राम विजरपुर की भूमि सर्वे कमांक 437 रकबा 6 बीघा 18 विस्वा पर अनावेदक मांगीलाल के भूमिस्वामित्व की भूमि पर आवेदक बद्रीलाल पुत्र चतरूलाल मीना, निवासी विजरपुर का नाम चालू साल के खसरा में कब्जा धारक के रूप में अंकित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश से दुखी होकर अनावेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुरकलां के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसे अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुरकलां द्वारा पारित विचाराधीन आदेश दिनांक 03.07.01 द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को निरस्त करते हुये, विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा गया। इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा द्वितीय अपील न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष प्रस्तुत की गई है । प्रकरण क्रमांक 319/2000–01/अपील पंजीबद्ध किया गया तथा पारित आदेश दिनांक 28.03.2002 से अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुरकलां एवं तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि प्रकरण में विवादित भूमि पर आवेदक का वास्तविक अधिपतया है तथा आवेदक ही निरन्तर कृषि करता चला आ रहा है । यह तथ्य अनावेदक ने संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही में स्वयं स्वीकार किया है । आवेदक का वास्तविक आधिपत्य होने से उसकी प्रविष्टि राजस्व अभिलेखों में किया जाना उचित एवं आवश्यक है । आवेदक द्वारा दिया गया आवेदन पत्र संहिता की धारा–121 के अन्तर्गत निर्मित नियमों के पालन में अपने कर्तव्यों का निर्वहन न किये जाने के कारण तहसील न्यायालय में विचार योग्य है। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क में यह भी बताया गया कि राजस्व कर्मचारियों का यह कर्तव्य है कि किसी भूमि पर भूमिस्वामी के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति का आधिपत्य है तब ऐसे आधिपत्य की प्रविष्टि हेतु वे स्वयं कार्यवाही करे, परन्तु उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी। भूमिस्वामी के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति का आधिपत्य होने की दशा में ऐसे आधिपत्य की प्रविष्टि का संहिता में स्पष्ट प्रावधान न होने से संहिता की धारा–32 के अन्तर्गत आधिपत्य की प्रविष्टि के आवेदन की जॉच कर निर्णय दिया

जा सकता है, जिससे विधि के प्रावधान की पूर्ति होती है तथा राजस्व अभिलेख भी अधतन रखे जा सकते है–जैसा कि 1995 रे0नि0 366 में अभिनिर्धारित किया गया है। उक्त न्याय द्वष्टांत में की गयी विवेचना खण्डित नहीं हुयी है। अपर आयुक्त का यह तर्क कि यदि बद्रीलाल का भूमि पर आधिपत्य रहा होता तब उसका नाम खसरे में किसी भी रूप में दर्ज होना उचित नहीं है। क्योंकि अपर आयुक्त ने न तो प्रकरण की साक्ष्य को देखा और न ही विचार किया कि जबकि आवेदक के आवेदन पत्र के अनुसार आधिपत्य की प्रविष्टि को वे विधिसम्मत नहीं मान रहे हैं तब आधिपत्य की प्रविष्टि कैसे हो सकती थी। अधीनस्थ न्यायालय के मत यदि विचारण न्यायालय द्वारा प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, तब प्रकरण उचित निर्देशों के प्रत्यावर्तित किया जाना चाहिये था । किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया । अतएव अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जावे ।

4/ अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है ।

5/ मेरे द्वारा आवेदक के अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गये और प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया गया । अभिलेखों के अवलोकन करने पर पाया गया कि संहिता की धारा 116 के अन्तर्गत कब्जा होने के एक वर्ष के अन्दर आवेदन पत्र पेश किया जाना चाहिये । संहिता की धारा 115 के अन्तर्गतक तहसीलदार को यदि यह पता चले कि उसके अधीनस्थ पदाधिकारी द्वारा संहिता की धारा 114 के अन्तर्गत तैयार किये गये भू–अभिलेखों में गलत या कि अशुद्ध प्रविष्टि की गई है तो वह समयक सूचना देने के पश्चात संबंधित व्यक्तियों से ऐसी पूछताछ करने के पश्चात जैसी कि वह उचित समझे, उसमें आवश्यक परिवर्तना लालस्याही से किये जाने का निर्देश देगा । यानि कि तहसीलदार स्वप्रेरणा से कार्यवाही करेगा । संहिता की धारा 116 ऐसे व्यक्ति के आवेदन पत्र से संबंधित है जो धारा 114 के अधीन की गई प्रविष्टि से व्याथित हो तथा जिसका अस्तित्व पहिले से हो । संहिता की धारा 116 के अधीन नवीन प्रविष्टि की सृष्टि नहीं की जा सकती, जिसका अस्तित्व ही न हो, और न ही इस धारा के अधीन किसी उपकृषक द्वारा खसरे में नाम प्रविष्टि करने का आवेदन किया जा सकता है । न्यायालय राजसव मण्डल द्वारा इन्हीं बिन्दुओं का अभिनिर्धारण किया गया है । रे.नि. 1988 पृष्ठ 55 मिठ्ठूशाह विरूद्ध गोरअली तथा रे.नि. 1975 पृष्ठ 51 गोविन्द सिंह विरूद्ध पन्नालाल । स्पष्ट है कि संहिता की दोनों धाराओं 115 तथा 116 के

अन्तर्गत केवल भू–अभिलेख तैयार करते समय हुई गलती या अशुद्धी को शुद्ध किया जा सकता है न कि नवीन प्रविष्टियो कि जा सकती है । विचारण न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 115 व 116 के तहत कैसे आदेश पारित किया गया, विचार योग्य है और महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुरकलां द्वारा भी संहिता की धाराओं का ज्ञान न होने के कारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि कर दी गई। दोनों राजस्व अधिकारियों द्वारा संहिता की धारा 115 व 116 को समझने तथा जानने का कोई प्रयास ही नहीं किया गया ।

6/ विचारण न्यायालय की प्रकरण पत्रिका में संलग्न खसरा की प्रमाणित प्रतिलिपि को देखने से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि का अभिलिखित भूमिस्वामी अनावेदक मांगीलाल है । आवेदक का तो नाम ही दर्ज नहीं है न तो कब्जे के खाने में और न ही उपकृषक के रूप में। विचारण न्यायालय द्वारा कैसे मान लिया गया कि आवेदक बद्रीलाल विवादित भूमि पर 20–25 वर्ष से खेती करता आ रहा है । यदि इनते वर्षों से खेती कर रहा होता तो निश्चित रूप से उसके नाम का उल्लेख खसरे में किसी भी रूप में दर्ज होता । ऐसी स्थिति में संहिता की धारा 115 व 116 में नवीन प्रविष्टि दर्ज करने का कोई प्रावधान न होने के कारण दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेश विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना ने अपने आदेश दिनांक 28.03.2002 में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश को अपास्त किया है । मेरे मतानुसार अपर आयुक्त ने जो आदेश पारित किया है वह न्यायिक प्रक्रिया के अनुकूल है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है और अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.03.2002 विधिसंगत होने से यथावत रखा जाता है ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर